कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

देश पत्रक – सं० ——— कुमन मोहन ——— बनाम प्रभु साव वगैरह ——— तक

ल – बालूमाथ, जिला – लातेहार वाद सं०– 26 /2023

स का प्रकार– ………………

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.05.2023	आवेदक कुमन मोहन पिता ग्राम- झारा थाना-बालूमाथ जिला-लातेहार के द्वारा आवेदन प्राप्त है। आवेदन में मौजा. झारा के खाता नं. 24 प्लॉट नं. 1266, 1267, 1275 कुल रकबा 22.25 डिसमिल भूमि का पंजी-II प्रभु साव बालगोविन्द साव गुनेश्वर साव व रामेश्वर साव पिता लखन साव की नान्हकु साव के नाम भूलवश जमाबंदी कायम हो गया है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कारवाई प्रारंभ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 1.6.23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamSc

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
01-06-2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। वाद के संपत्ति (खतवारी) की जांच बताया गया की गल्हौटी मौजे व पडुन मौजे के खाता भूमि से बंटवारा के बिना प्रथम बार बटोरे की खाता 1968 में जुर्म किया गया। पंजी उपस्थापन करने में इस उक्त भूमि का हिस्सा गल्हौटी मौजे में पड़ जाने के कारण विवाद बन गया है। वाद के संबंध C.S खाता एवं पूर्ण की संपत्ति का अवलोकन आवश्यक है। इस वाद में विशेष पडुन मौजे की बयान आवश्यक है। अभिलेख दिनांक 7/6/23 को पेश हो। 1.6.23 अंचल अधिकारी [illegible]
7.6.23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। वाद की कार्यवाही दिनांक 15/6/23 को पेश हो। 7/6/23 अंचल अधिकारी [illegible]

Scanned with CamSc

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–26/2023–24**

केस का प्रकार– **बुधन यादव वगैरह बनाम् प्रभु साव वगैरह**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार उपस्थित। द्वितीय पक्षकार अनुपस्थित। द्वितीय पक्षकार विगत तिथि से लगातार अनुपस्थित पाए गए। आज आदेश हेतु तिथि पूर्व से निर्धारित थी। प्रथम पक्षकार का कहना है कि मौजा आरा आर०एस० खाता 24 प्लॉट 1266, 1267, 1275 रकबा 22.25 डी० भूमि पंजी–II ऑनलाईन प्रभु साव, बालगोविन्द साव, भुवनेश्वर साव व रामेशर साव पिता बढ़न साव व नन्हकू साव के नाम से भूलवश जमाबंदी कायम हो गया है जबकि इनका आर०एस० खाते से जमाबंदी खाता 83 मे पूर्व से कायम है। इनके द्वारा साक्ष्य दिया गया है। इनका कहना है कि खाता 24 मे भूमि कभी भी मेरे पूर्वज के द्वारा बिक्री नही किया गया है फिर रकबा मेरे खाता 24 से घटाना उचित प्रतीत नही होता है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा नोटिस निर्गत होने के बाद भी एक भी तिथि को उपस्थिति दर्ज नही की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस विवादित भूमि के संबंध मे कुछ नही कहना है या उनके पास पर्याप्त साक्ष्य नही है। उपर्युक्त दोनों पक्षकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य, अभिलेख में उपस्थापित राजस्व दस्तावेज, अमीन का प्रतिवेदन इत्यादि का अवलोकन के पश्चात् निम्न निष्कर्ष पाये जाते है:-	

Scanned with CamSc

1- यह भूमि मौजा आरा, सी0एस0 खाता 17 प्लॉट 1376, 1380 एवं 1379 रकबा 16.25 डी0, 5.50 डी0 एवं 0.50 डी0 कुल रकबा 22.25 डी0 (आर0एस0 खाता 83 प्लॉट 1304 रकबा 44 डी0) से संबंधित है।

2- खतियानी रैयत पदुम महतो पिता विसु महतो के द्वारा खाता 17 प्लॉट 1376, 1380, 1379 कुल रकबा 22.25 डी0 अपने हिस्सा का प्रभु साव, बालगोविन्द साव, मुनेश्वर साव, रामेशर साव, मानो साव, कैल साव इत्यादि को केवाला संख्या 234 से वर्ष 1977 में लिखा गया था।

3- क्रेता पक्षकार के द्वारा दाखिल खारिज वाद 326/78-79 के द्वारा Mutation कराया गया तथा लगान रसीद प्राप्त किया गया तथा जोत कोड़ करते आ रहे है।

4- आर0एस0 खाता में यह भूमि खाता 83 प्लॉट 1304 रकबा 44 डी0 पाया गया जो उक्त भूमि को क्रेता पक्ष प्रभु साव वगैरह के नाम से पाया गया परन्तु क्रेता पक्ष को यह बात की जानकारी नही है कि आर0एस0 खाता से खतियान इनके नाम से उठ गया है।

5- प्रभु साव वगैरह के द्वारा प्रापत आवेदन के आलोक में विविध वाद 461/22-23 आरंभ की गई तथा अमीन से ट्रेस नक्शा एवं राजस्व उप निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में आर0एस0 खाता 24 में जमाबंदी कायम कर दी गई। चूँकि यह ट्रेस नक्शा गलत था इसलिए खाता 24 में रकबा घट गया।

6- पुनः आवेदक के आवेदन पर विविध 26/23-24 वाद खोलते हुए सुनवाई की गयी तथा ट्रेस नक्शा दूसरे अमीन से बनवाया गया तब स्पष्ट पाया गया कि सी0एस0 खाता 17 का आर0एस0 खाता 83 बना है जो क्रेता प्रभु साव वगैरह के नाम से इंट्री है। चूँकि हाल सर्वे में प्रभु साव का भूमि पाया गया इसलिए पुनः पंजी-II अद्यतन करना नियमानुसार नही है।

Scanned with CamSc

7- विविध वाद 461/22-23 में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया है। इस आदेश के द्वारा जो पंजी-II अद्यतन की गयी वह गलत ट्रेस नक्शा के आधार पर कायम की गयी है। इसलिए इनको विलोपित किया जाना विधि सम्मत है। वास्तव में आवेदक के हिस्स में 22.25 डी0 भूमि होना चाहिए।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों एवं तर्कों तथा निष्कर्षों के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि सी0एस0 खाता 17 से भूमि क्रेता प्रभु साव वगैरह के नाम से पंजी-II अद्यतन करने संबंधी विविध वाद 461/2022-23 में पारित आदेश में संशोधन किया जाता है। वो आर0एस0 खाता 83 में प्रभु साव वगैरह के नाम से इंद्राज पायी गयी है। चूँकि विविध वाद 461/2022-23 में पारित आदेश को रद्द किया जाता है। आर0एस0 खाता 83 में इंद्राज कुल रकबा 44 डी0 में कुल रकबा 22.25 डी0 का लगान पाने का आदेश प्रभु साव वगैरह के पक्ष में दिया जाता है। आर0एस0 खाता 24 प्लॉट 1275, 1266, 1267 में जो 16.25 डी0, 5.50 डी0, 0.50 डी0 कुल रकबा 22.25 डी0 कायम किया गया उसे शून्य किया जाता है तथा आर0एस0 खाता 24 में रकबा 22.25 डी0 भूमि मूल खतियानी रैयत के पक्ष में जमाबंदी कायम करने का आदेशित किया जाता है। मेरे इस आदेश से सभी पक्षकारों, राजस्व कर्मी को अवगत करायें। आदेश के विरूद्ध असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

25/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

25/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.07.27 13:35:50 +05:30
Location: 192.168.193.91

Scanned with CamSc